

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमति क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 645]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 1 अक्टूबर 2019 — आश्विन 9, शक 1941

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 1 अक्टूबर 2019

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-14/खाद्य/2017/29-1. — आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 सहपाठित भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्र. का.आ. (अ), दिनांक 29 सितम्बर, 2019 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ आवश्यक वस्तु व्यापारी (अनुज्ञापन तथा जमाखोरी पर निर्बन्धन) आदेश, 2009 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त आदेश में,—

- खण्ड 2 में, उप-खण्ड (ग) में, प्रविष्टि (तीन) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—
“(चार) प्याज की दशा में, एक समय में 250 किंवंटल से अधिक का स्टॉक रखें।”
- अनुसूची—एक में, सरल क्रमांक 4 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—
“5. प्याज。”
- अनुसूची—दो में, सरल क्रमांक 4 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

स.क्र.	अनुसूचित वस्तु	नगर की श्रेणी	व्यापारी (किंवंटल)	कमीशन अभिकर्ता (किंवंटल)	प्रसंस्करणकर्ता
“5.	प्याज	समस्त	500	100”	

- यह संशोधन तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार सोनी, विशेष सचिव,

अटल नगर, दिनांक 1 अक्टूबर 2019

कमांक एफ 4-14/खाद्य/2017/29-1. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड 3 के अनुसरण में इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 1-10-2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार सोनी, विशेष सचिव.

Atal Nagar, the 1st October 2019

NOTIFICATION

No. F 4-14/Food/2017/29-1. — In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) read with Notification No.S.O.(E), dated 29th September, 2019 issued by the Government of India, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, the State Government, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Scheduled Commodities Dealers (Licensing and Restriction on Hoarding) Order, 2009, namely:-

AMENDMENT

In the said order,-

1. In clause 2, in sub-clause (c), after entry (iii), the following shall be added, namely: –
“(iv) At a time more than 250 quintal shall be in the stock in case of Onion.”
2. In Schedule-I, after serial number 4 and entries relating thereto, the following shall be added, namely:-
"5. Onion."
3. In Schedule-II, after serial number 4 and entries relating thereto, the following shall be added, namely:-

S. No	Scheduled commodity	Category of city	Dealer (Qtls.)	Commission agent (Qtls.)	Processor
"5.	Onion	All	500	100"	

4. This amendment shall come into force with immediate effect.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MANOJ KUMAR SONI, Special Secretary.